

फर्द अहकाम
 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
 ग्यारसी देवी बनाम राजस्थान सरकार वगैरे

केस संख्या : प्रा.पत्र 5/2025

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
182/25		पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली आदेश..... अनुसार..... दिनांक..... 4/3/25..... को पेश हो।	
43/20		पत्रावली आदेश दिनांक..... 4/3/25..... का पत्रावली पेश हुई।	
253/25		पत्रावली प्रस्तुत/वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सैख्या 2 ता 7/2 की कोर्ट से जवाब प्राप्त पेश हुआ। मूल पत्रावली अप्रार्थी- का भी जवाब पेश हुआ। पत्रावली वास्तव खसम दिनांक 28/3/25 को पेश हो।	सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
283/25		आज दि. 28/3/25 को पत्रावली पेश हुई। आदेश/कोर्ट पर अतः पत्रावली दिनांक 28/3/25 को पेश हो।	
34/20		पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली आदेश..... अनुसार आगामी पेशी दिनांक..... 8/4/25..... को पेश हो।	
84/25		पत्रावली प्रस्तुत/वकील प्रार्थी व अप्रार्थी 2 ता 7/2 की खसम सुनी गई। प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों के माध्यम पर प्रत्येक दृष्टिगत मांगों व अपूरणीय तर्कों प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती हैं। अतः वरुण अहकाम को	

उच्चायालय (पट्टी) के लिये कोर्ट के आदेश पर

फर्द अहकाम

उच्चायालय के नाम से जारी किया गया है

05/25 धारा

आलय

आ

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	<p>दोनों के लिए दिनांक 01/11/2020 को जारी अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा को मूलावस्था के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। पत्रावली केवल शुक्राह को दक्षिण दिशा में है।</p>	

(Signature)
सहायक कलेक्टर
जयपुर म. जयपुर